"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 143] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 21 जून 2012—ज्येष्ठ 31, शक 1934

वन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 जून 2012

अधिसूचना

क्रमांक/एफ 01-53/2003/10-1/वन.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) वन सेवा में भर्ती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**— (1) ये नियम छत्तीसगढ़ तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) वन सेवा भर्ती नियम, 2012 कहलायेंगे ।

   (2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
   (क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, ऐसा प्राधिकारी जिसे सेवा/पद में भर्ती के लिए शासन द्वारा सशक्त किया गया हो या इसमें इसके पश्चात् सशक्त किया जाये;
   (ख) "समिति" से अभिप्रेत है, नियम 11 के अधीन सेवा में भर्ती के लिये गठित चयन समिति तथा नियम 13 के अधीन सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति;
   (ग) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, इन नियमों के नियम 11 के अधीन सेवा में भर्ती के लिये आयोजित प्रतियोगी परीक्षा;
   (घ) "सरकार" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सरकार;
   (ङ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

(च) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्र. एफ-8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(छ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(ज) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा-विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(झ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(ञ) "सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) वन सेवा;

(ट) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य।

3. **विस्तार तथा लागू होना.**— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन.**— सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल या स्थानापन्न हैसियत में धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.**— सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या और उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची-एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगा:

परन्तु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, समय-समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी ।

6. **भर्ती का तरीका.**— (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात् :—

(क) प्रतियोगी/परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा अथवा मेरिट तथा साक्षात्कार के आधार पर चयन द्वारा;

(ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा, जैसा कि अनुसूची-चार के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में, ऐसे पदों को, मूल/स्थानापन्न हैसियत में धारण करते हों, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये।

(2) उप-नियम (1) के खण्ड (ख) एवं (ग) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची-एक में यथाविनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के, अनुसूची-दो में यथा दर्शित प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, शासन के परामर्श से अवधारित की जाएगी।

(4) उप-नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप-नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किए गये आदेश द्वारा विहित करे।

(5) मेरिट के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा पदों को भरे जाने के लिए, मापदण्ड शासन द्वारा विहित किये जायेंगे, तथापि, नियुक्ति प्राधिकारी के लिये यह आवश्यक होगा कि इस प्रयोजन के लिए, एक चयन समिति गठित करे, जो इने मापदण्डों से भिन्न कोई अन्य युक्तिसंगत मापदंड शासन की सहमति से अपना सकेगी।

(6) भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

7. **सेवा में नियुक्ति.**- इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें.**- प्रतियोगिता परीक्षा (परीक्षा में प्रतियोगिता)/चयन के लिये पात्र होने के लिए, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात् :-

(एक) **आयु**- (क) परीक्षा/चयन के प्रारंभ होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी ने अनुसूची-तीन के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों (गैर क्रीमीलेयर) का हो तो उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 (पाँच) वर्ष तक की छूट दी जायेगी।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 (दस) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जाएगा:-

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ का स्थायी/अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये।

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों एवं कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 (सात) वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 (तीन) वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाइयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः मास की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ड.) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 (तीन) वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :– शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी किया गया हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो:–

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें–

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।

(तीन) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक;

(चार) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं);

(पांच) अवकाश रिक्तियों पर छः मास से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किये गये अधिकारी;

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो;

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीन कार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में भी, उच्चतर आयु सीमा 2 (दो) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग विकास विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 (पाँच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 (पाँच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(झ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(ञ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नान कमीशंड अधिकारियों के संबंध में, उनके द्वारा इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिये, उच्चतर आयु सीमा में, 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 (अड़तीस) वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

टीप– (1) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उपरोक्त खण्ड (घ) के उप–खण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, वे यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य मामले में आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेगी, विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(ट) आयु सीमा के संबंध में, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(ठ) उपरोक्त उल्लिखित एक या एक से अधिक संवर्ग के अंतर्गत आयु में छूट दिये जाने के उपरांत, शासकीय सेवा हेतु पात्र होने के लिये अधिकतम आयु किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(दो) **शैक्षणिक अर्हता**– अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए, जैसा कि अनुसूची–तीन में दर्शित है।

(तीन) **शारीरिक अर्हता**– (क) वन रक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी को चयन समिति द्वारा यथा विहित प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और पुरूष अभ्यर्थी के मामले में चार घण्टे में 25 किलोमीटर की दूरी पैदल पूर्ण करनी होगी एवं महिला अभ्यर्थी के मामले में चार घण्टे में 14 किलोमीटर की दूरी पैदल पूर्ण करनी होगी। उसे विहित चिकित्सीय और शारीरिक उपयुक्तता (फिटनेस) परीक्षा भी उत्तीर्ण करनी होगी।

(ख) वन रक्षक पद के लिये न्यूनतम शारीरिक प्रमाप (स्टेण्डर्ड) निम्नानुसार पूरी करनी होगी:–

शारीरिक प्रमाप	पुरूष अभ्यर्थी	महिला अभ्यर्थी
ऊंचाई	163 सेंटीमीटर	150 सेंटीमीटर
सीना सामान्य	79 सेंटीमीटर	74 सेंटीमीटर
सीने का न्यूनतम फुलाव	5 सेंटीमीटर	5 सेंटीमीटर

टीप– (1) अनुसूचित जनजाति के लिये, पुरूष अभ्यर्थी की न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होना चाहिए तथा महिला अभ्यर्थी की ऊंचाई 145 सेंटीमीटर होना चाहिए।

(2) छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सीने के फुलाने संबंधी शर्तों को शिथिल किया जायेगा।

(चार) **फीस**–अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यथा विहित फीस का भुगतान करना होगा।

9. **निरर्हता.**– अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिये उसे निरर्हित माना जा सकेगा।

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.**– परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिए अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में, नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और कोई भी अभ्यर्थी जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

11. **चयन/प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती.**– **(1) प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती**– नियुक्ति प्राधिकारी एक चयन समिति गठित करेगा जिसमें तीन सदस्य सम्मिलित होंगे–

(एक) सेवा में भर्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षा, ऐसे अंतरालों से ली जायेगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी शासन के परामर्श से, समय–समय पर अवधारित करे।

(दो) परीक्षा, शासन द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ली जायेगी।

(2) **चयन द्वारा सीधी भर्ती**– (एक) सेवा में सीधी भर्ती के लिए चयन, ऐसे अंतरालों से किया जायेगा जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय–समय पर अवधारित करे;

(दो) सेवा के लिये अभ्यर्थियों का चयन, चयन समिति द्वारा किया जायेगा;

(तीन) चयन समिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर गठित की जायेगी।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के लिये, सीधी भर्ती के प्रक्रम में पदों को, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों तथा शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार आरक्षित रखा जाएगा।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उन अभ्यर्थियों को जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया हो, उप–नियम (3) के अधीन, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(6) सीधी भर्ती के प्रक्रम में, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे जाएंगे।

(7) ऐसे मामलों में जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाये कि आरक्षित पदों पर भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों की अपेक्षित अनुभव के साथ, पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो नियुक्ति प्राधिकारी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

(8) शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के लिये सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार आरक्षण लागू होगा।

12. **चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची.**– (1) चयन समिति, उन अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में व्यवस्थित एक सूची जो ऐसे स्तर से अर्हित हो, जैसा कि चयन समिति द्वारा अवधारित किया जाये तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये चयन समिति द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया हो, तैयार करेगी और नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी। यह सूची, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भी प्रकाशित की जायेगी।

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जाएगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।

(3) सूची में अभ्यर्थियों का नाम शामिल किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिये कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.**– (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिये एक समिति गठित की जायेगी जिसमें अनुसूची–चार के कॉलम (7) में विनिर्दिष्ट सदस्य सम्मिलित होंगे:

परंतु इस उप–नियम के अधीन, समिति के गठन के प्रयोजन के लिये, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंधों का भी अनुसरण किया जायेगा।

(2) समिति की बैठक ऐसे अंतरालों में होगी जो साधारणतः एक वर्ष से अनधिक हो।

(3) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार पदोन्नति दी जायेगी।

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।

14. **पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें.**– समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों में जिनसे पदोन्नति की जानी है या शासन द्वारा उनके समतुल्य घोषित किन्हीं अन्य पद या पदों पर (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में) उतने वर्षों की सेवा, जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो और उप–नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों।

स्पष्टीकरण– (1) **पदोन्नति के लिये पात्रता हेतु संगणना की रीति**– संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जायेगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(2) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंध के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण दिया जायेगा।

(3) शासन द्वारा विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति दी जायेगी।

(4) वनपाल जिन्होंने राज्य के प्रशिक्षण स्कूल से वनपाल के लिये विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो, उप वन क्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र होंगे।

15. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची का तैयार किया जाना.**– (1) विभागीय पदोन्नति समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो उपर्युक्त नियम 14 में विहित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो, यह सूची, चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति एवं पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी।

(2) ऐसी सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु चयन, मेरिट तथा सभी प्रकार से उपयुक्तता (ज्येष्ठता–सह–उपयुक्तता) के आधार पर किया जायेगा।

(3) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अनुसार चयन सूची की तैयारी के समय, सूची में सम्मिलित कर्मचारियों के नाम, अनुसूची–चार के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे।

स्पष्टीकरण– ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में शामिल किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं होगा।

16. **चयन सूची.**– (1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची, अनुसूची–चार के कॉलम (3) में उल्लिखित पदों से, अनुसूची–चार के कॉलम (4) में उल्लिखित पदों पर, सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिये चयन सूची होगी।

(2) पदोन्नति के लिये चयन सूची, सामान्यतः इसके तैयार किये जाने की तारीख से कैलेण्डर वर्ष के 31 दिसम्बर तक विधिमान्य रहेगी:

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्य के निर्वहन अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, नियुक्ति प्राधिकारी के कहने पर, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि वह उचित समझे तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

17. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**– (1) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्तियां, उसी क्रम में की जायेगी, जिस क्रम में उनके नाम छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधान के अनुसार सूची में आये हों।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, नियुक्ति के पूर्व चयन समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करता हो।

18. **परिवीक्षा.**– सेवा में सीधे अथवा पदोन्नति द्वारा भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

19. **निर्वचन.**– यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

20. **शिथिलीकरण.**– इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परंतु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

21. **व्यावृत्ति.**– इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये, राज्य शासन द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी किये गये निर्देशों/आदेशों के अनुसार दिये जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, शिथिलीकरण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

22. **निरसन.**– इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. अनंत, सचिव.

अनुसूची — एक
(नियम 5 देखिए)

स. क.	विभाग का नाम	सेवा का नाम	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या			वर्गीकरण	वेतनमान
				पदों की कुल संख्या	स्थाई	अस्थाई		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	वन विभाग	तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय)	उप वन क्षेत्रपाल	650 200 (प्रतिनियुक्ति हेतु आरक्षित)	650 200 (प्रतिनियुक्ति हेतु आरक्षित)	—	तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय)	5200—20200 एवं ग्रेड वेतन — 2400
2.			वनपाल / सर्वेयर / सहायक वन विस्तार अधिकारी	1668	1668	—	तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय)	5200—20200 एवं ग्रेड वेतन — 2200
3.			वनरक्षक / वन सेवक / गोदाम कीपर / चैनमेन / गेम गार्ड / मैकेनिक / बैरियर गार्ड	4775	4770	05	तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय)	5200—20200 एवं ग्रेड वेतन — 1900
4.			वाहन चालक (भारी वाहन)	132	132	—	तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय)	5200—20200 एवं ग्रेड वेतन — 2200
5.			वाहन चालक (हल्के वाहन)	163	160	03	तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय)	5200—20200 एवं ग्रेड वेतन — 1900

अनुसूची—दो
(नियम 6 देखिए)

स. क्र.	विभाग का नाम	सेवा/पद का नाम	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों का प्रतिशत		
			सीधी भर्ती द्वारा (नियम 6 (1) (क) देखिए)	सेवा के मूल सदस्यों की पदोन्नति द्वारा (नियम 6 (1) (ख) देखिए)	शासकीय विभाग से प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा (नियम 6 (1) (ग) देखिए)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	वन विभाग	उप वन क्षेत्रपाल	—	100%	—
2.		वनपाल / सर्वेयर / सहायक वन विस्तार अधिकारी	—	100%	—
3.		वनरक्षक / वन सेवक / गोदाम कीपर/चैनमेन / गेम गार्ड / मैकेनिक / बैरियर गार्ड	100%	—	—
4.		वाहन चालक (भारी वाहन)	100%	—	—
5.		वाहन चालक (हल्के वाहन)	100%	—	—

अनुसूची–तीन

(नियम 8 देखिए)

स. क्र.	विभाग का नाम	सेवा/पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अहर्ता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	वन विभाग	वनरक्षक / वन सेवक / गोदाम कीपर / चैनमेन / गेम गार्ड / मैकेनिक / बैरियर गार्ड	18 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिये 35 वर्ष)	मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण होना चाहिये।
2.		वाहन चालक (भारी वाहन)	18 वर्ष	–तदैव–	1. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से माध्यमिक स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये। 2. भारी मोटर यान चलाने का लायसेंस धारक होना चाहिये। 3. भारी वाहन जैसे ट्रक/ट्रेक्टर चलाने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव।
3.		वाहन चालक (हल्के वाहन)	18 वर्ष	–तदैव–	1. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से माध्यमिक स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये। 2. हल्के मोटर यान का वैध लायसेंस धारक होना चाहिये। 3. जीप चलाने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव।

अनुसूची–चार
(नियम 15 देखिए)

स. क्र.	विभाग का नाम	सेवा या पद का नाम, जिससे पदोन्नति की जानी है	सेवा या पद का नाम, जिस पर पदोन्नति की जानी है	पद के लिये पात्रता हेतु न्यूनतम अनुभव की अवधि	पदोन्नति की प्रक्रिया	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	वन विभाग	वनरक्षक	वनपाल	(1) वनरक्षक प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात् वनरक्षक के रूप में 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। अथवा 2) ऐसा अप्रशिक्षित वनरक्षक जिसने 55 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो।	ज्येष्ठता–सह –योग्यता	वृत्तं स्तर पर पदोन्नति के लिए वन संरक्षक द्वारा एक समिति गठित की जायेगी, जिसमें तीन उप वन संरक्षक सम्मिलित होंगे।
2.		वनपाल	उप वन क्षेत्रपाल	वनपाल प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात् वनपाल के रूप में 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।	–तदैव–	–तदैव–

टीप– वनपाल से उप वन क्षेत्रपाल के पदों के लिये पदोन्नति वृत्त स्तर पर की जायेगी।

Raipur, the 21st June 2012

NOTIFICATION

No. F 01-53/2003/10-1/F.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules relating to the recruitment of the Chhattisgarh Class-III (Non-Clerical Cadre) Forest Service, namely :—

RULES

1. **Short title and commencement.**— (1) These Rules may be called the Chhattisgarh Class-III (Non-Clerical Cadre) Forest Service Recruitment Rules, 2012.

 (2) These rules shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**— In these rules unless the context otherwise requires,—

 (a) "Appointing Authority" in respect of the Service means such Authority who is empowered by the Government for the recruitment on the Service/Post or may be empowered hereinafter ;

 (b) "Committee" means the Selection Committee constituted under rule 1 for recruitment in service and Departmental Promotion Committee constituted under rule 13 for promotion of members of service ;

 (c) "Examination" means a competitive examination held for recruitment to the service under rule 11 of these rules ;

 (d) "Government" means the Government of Chhattisgarh ;

 (e) "Governor" means the Governor of the Chhattisgarh ;

 (f) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government, vide Notification No. F-8-5-XXV-4-84, dated 26th December, 1984 as amended from time to time ;

 (g) "Schedule" means a Schedule appended to these rules ;

(h) **"Scheduled Castes"** means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;

(i) **"Scheduled Tribes"** means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;

(j) **"Service"** means the Chhattisgarh Class-III (Non-Clerical Cadre) Forest Service;

(k) **"State"** means the State of Chhattisgarh.

3. **Scope and Application.-** Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. **Constitution of Service.-** The service shall consist of the following persons, namely:-

(1) Persons, who at the commencement of these Rules are holding in officiating capacity or substantively the posts specified in Schedule-I;

(2) Persons, recruited to the service before the commencement of these rules; and

(3) Persons, recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, scale of pay etc.-** The Classification of the service, the number of posts included in the service and scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of Recruitment.-** (1) Recruitment to the Service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely:-

(a) By direct recruitment on the basis of competitive examination or by selection on the basis of merit and interview;

(b) By promotion of the members of the Service as specified in column (3) of Schedule IV;

(c) By transfer/Deputation of persons, who hold in substantive/ substitutive capacity, such posts in such services as may be specified in this behalf.

(2) The number of persons recruited under clause (b) and (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage as shown in Schedule-II of the number of duty posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Appointing Authority in consultation with the Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) if in the opinion of the Appointing Authority, the exigencies of the Service so requires, the Appointing Authority may, with the prior concurrence of the General Administration Department, adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) For the post to be filled by Direct recruitment on the merit basis, the criteria (norms) shall be prescribed by the Government, however it will be mandatory for Appointing Authority to constitute a selection Committee for this purpose, which may adopt any other appropriate norms other than these norms with the consent of the Government.

(6) At the time of recruitment, the provisions of Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No.21 of 1994) and the direction issued by the General Administration Department from time to time shall be applicable.

7. Appointment in the Service.- All appointments in the service after the commencement of these rules shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. Conditions of eligibility for direct recruitment.- In order to be eligible to compete at the examination/selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely :-

(I)Age- (a) A candidate must have attained the age as specified in column (4) of Schedule-III and not have attained the age specified in column (5) of said Schedule on the first day of January next following the date of commencement of the examination/selection;

(b) The upper age limit shall be relaxable up to maximum of 5 (five) years if a candidate belongs to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-Creamy layer).

(c) The upper age limit shall be relaxable up to maximum of 10 (ten) years to a women candidate, as per provision of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997;

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of the candidates, who are or have been employees of the Government of Chhattisgarh to the extent and subject to the condition specified below:-

(i) A candidate, who is a permanent/temporary Government servant of Chhattisgarh should not be more than 38 years of age;

(ii) A candidate holding a temporary post and applying for another post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the Project Implementing Committees;

(iii) A Candidate who is "retrenched Government servant" shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 (Seven) years even if it represents more than one spell, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 (three) years.

Explanation- The term "retrenched Government Servant" denotes a person who was in temporary Government Service of this State or of any of the constituent units for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service.

(e) A Candidate, who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defense services previously rendered by him provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 (three) years.

Explanation- The term "Ex-Serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at employment exchange or application made otherwise for employment in Government Service:-

(i) Ex-Serviceman released under mustering out concessions;

(ii) Ex-Serviceman enrolled for the second time and discharged on -

(a) completion of short term engagement;

(b) fulfilling of the conditions of enrolment.

(iii) Ex-Personnel of Madras Civil Unit;

(iv) Officer (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short Service Regular Commissioned Officers);

(v) Officer discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;

(vi) Ex-Serviceman invalidated out of Service;

(vii) Ex-Serviceman discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(viii) Ex-Serviceman who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds etc.

(f) The upper age limit shall also be relaxable up to 2 (two) years in respect of Green Card holder candidates under the Family Welfare Programme.

(g) The upper age limit shall be relaxable up to 5 (five) years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the Inter-caste Marriage Incentive Scheme of the Scheduled Castes,, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Development Department.

(h) The general upper age limit shall also be relaxable upto a maximum of 5 (five) years in respect of the Shaheed Rajiv Pandey Award, Gundadhoor Award and Maharaja Praveer Chandra Bhanjdev Award holder candidates and National Youth Award Holder Young Candidates.

(i) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 38 years of age in respect of the candidates, who are employees of Chhattisgarh State Corporations / Boards.

(j) The upper age limit shall be relaxed in the case of voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of Home Guard Service rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 (thirty eight) years.

Note- (1) Candidates who are admitted to the examination selection under the age concessions mentioned in sub-clause (i) and (ii) of clause (d) above shall not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after examination/selection. They will, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the applications.

(2) In no other case these age limits be relaxed, the departmental candidates must obtain previous permission of the Appointing Authority to appear for the Examination/Selection.

(k) In respect of age limit, the direction issued by the General Administration Department from time to time, shall also be applicable.

(l) In any case maximum age to get eligible for Government job shall not exceed 45 years, irrespective of age relaxation under one or more than one category mentioned above.

(II) Educational Qualification - The candidate must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in Schedule-III.

(III) Physical Qualification- (a) The Candidate shall have to pass the competitive examination as prescribed by the Selection Committee for the direct recruitment on the Post of Forest Guard and in case of male, candidates shall have to walk 25 k.m. in four hours and female candidates shall have to walk 14 k.m. in four hours. He/She shall have to pass the prescribed medical and physical fitness test.

(b) The candidate must fulfill the following minimum physical standard for the post of Forest Guard:-

Physical Standard	Male candidate	Female candidate
Height	163 cm	150 cm
Chest	79 cm	74 cm
Minimum Expansion of chest	5 cm	5 cm

Note- (1) For Scheduled Tribes, the minimum height for male candidate should be 152 cm. and for the female candidate should be 145 cm.

(2) The condition regarding Expansion of chest shall be relaxed in the Naxal affected areas of Chhattisgarh.

(IV) **Fee-** The candidate must pay the fees as prescribed by the Appointing Authority.

9. **Disqualification.-** Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Appointing Authority to disqualify him for appearing in the examination/selection.

10. **Appointing authority's decisions about the eligibility of Candidates shall be final.-** The decision of the Appointing Authority as to eligibility or otherwise of a candidate for appearing in examination/selection shall be final and no candidate, to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority shall be allowed to appear in the examination/ interview.

11. **Direct Recruitment by Selection/Competitive Examination.-** (1) Direct recruitment by competitive examination- Appointing Authority shall constitute a selection committee consisting of three members-

(i) The competitive examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority may, in consultation with the Government, from time to time, determine.

(ii) The examination shall be held by the Appointing Authority in accordance with such orders issued by the Government from time to time.

(2) Direct recruitment by Selection - (i) The Selection for direct recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority may, from time to time, determine;.

(ii) The selection of candidates for the service shall be made by the Selection Committee;

(iii) The Selection Committee shall be constituted by the Appointing Authority from time to time.

(3) There shall be reserved posts for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, at the stage of direct recruitment, in accordance with the provision contained in the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and orders issued by the State Government from time to time.

(4) In filling up the vacancies so reserved, the candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12, irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes declared by the Appointing Authority to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be under sub-rule (3).

(6) At the stage of direct recruitment, 30 percent posts shall be reserved for women candidates in accordance with the provision of Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.

(7) In such cases, where certain period of experience has been prescribed as an essential condition for the posts to be filled by direct recruitment and in the opinion of the Appointing Authority, it is found that the sufficient number of the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, with the requisite experience, is not likely to be available for

recruitment on the reserved posts, then the Appointing Authority may relax the condition of experience to the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other backward Classes.

(8) Reservation for the physically handicapped candidates shall be applicable as per the directions issued by the General Administration Department from time to time.

12. **List of candidates recommended by the Selection Committee.-** (1) The Selection Committee shall prepare and forward a list to the Appointing Authority arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards as may be determined by the Selection Committee and a list of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by the such standard, but are declared by the Selection Committee to be suitable for appointment to the service, with due regard to the maintenance of efficiency of administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment, unless the Appointing Authority is satisfied, after such inquiry as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respect for appointment to the service.

(4) The list shall be valid for a period of 1 year from the date of its issue by the committee.

13. **Appointment by Promotion.-** (1) There shall be constituted a Committee, consisting of the members specified in column (7) of Schedule IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates:

Provided that for the purpose of constitution of the Committee under this sub-rule, the provision of Section 8 of Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No.21 of 1994) shall also be adhered to.

(2) The committee shall meet at such intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) Promotion shall be made in accordance with the provision of Chhattisgarh Lok Seva (Padonnati) Niyam, 2003.

(4) Procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be made in accordance with the instructions issued by the Government of Chhattisgarh, General Administration Department from time to time.

14. **Conditions of Eligibility for Promotion.-** The committee shall consider the cases of all persons who on the 1st day of January of that year had completed such number of years of the service (Whether officiating or substantive) in the posts from which promotion is to be made or any other post or posts declared equivalent thereto by the Government, as specified in column (5) of Schedule-IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).

Explanation- (1) Manner of computation for eligibility for promotion - The calculation of period of qualifying service on 1st January of the relevant year in which Departmental Promotion Committee/Screening Committee is convened shall be counted from the Calendar year in which the public servant has joined the feeding cadre/part of the service/pay scale of the post and not from the date of joining of the cadre/part of the service/pay scale of post.

(2) The reservation in promotion shall be made in accordance with the provision of Chhattisgarh Lok Seva (Padonnati) Niyam, 2003.

(3) Promotion shall be made as per Reservation Roster prescribed by the Government.

(4) The Foresters who have successfully completed prescribed training for Forester from training school of the state will be eligible for the promotion on the post of Deputy Ranger.

15. Preparation of list of suitable candidate.- (1) The Departmental Promotion Committee shall prepare a list of such persons who satisfy the conditions prescribed in rule 14 above and as are held by the Committee to be suitable for promotion to the service, the list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of one year from the date of preparation of the Select list.

(2) The selection for inclusion in such list shall be based on merit and suitability (seniority subject to fitness) in all respects.

(3) The names of employees included in the list shall be arranged in order of seniority in the service or posts as specified in column (3) of Schedule-IV at the time of preparation of select list as per Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961.

Explanation - The person whose name is included in a select list but who is not promoted during the validity of the list, shall have no claim to seniority over those persons considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

16. Select list.- (1) The list as finally approved by the Appointing Authority shall be the select list for promotion of the member of the service from the posts mentioned in Column (3) of Schedule-IV to the posts mentioned in column (4) of Schedule-IV.

(2) The select list for promotion shall be ordinarily valid for 31st December of the calendar year from the date of its preparation:

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct or performance of the duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at instance of Appointing Authority and he may, if it thinks fit, remove the name of such person, from the select list.

17. **Appointment to the service from the Select List.**- (1) Appointment of the persons included in the select list shall be made to the posts borne on the cadre in the order in which their names appear in the list in accordance with the provision of Chhattisgarh Lok Seva (Padonnati) Niyam, 2003.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the selection committee before appointment of a person, whose name is included in the select list unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of the proposed appointment, there occurs any deterioration in his work which, in the opinion of the Appointing Authority is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

18. **Probation.**- Every person recruited directly or by promotion to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

19. **Interpretation.** - If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government, whose decision thereon shall be final.

20. **Relaxation.**- Nothing in these Rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner, as may appear to it to be just and proper:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

21. **Saving.**- Nothing contained in these rules shall affect reservation, relaxation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the instructions/order issued by the State Government from time to time in this regard.

22. **Repeal.-** All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
B. S. ANANT, Secretary.

Schedule - I
(See Rule 5)

S. No.	Name of the Department	Name of the Service	Name of the Post included in the Service	Number of sanctioned posts			Classifications	Pay scale
				Total number of post	Permanent	Temporary		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Forest Department	Class Three (Non-Clerical Cadre)	Deputy Ranger	650 200 (Deputation Reserve)	650 200 (Deputation Reserve)	-	Class-III (Non-Clerical Cadre)	5200-20200 and Grade Pay - 2400
2.			Forester/ Surveyor/ Assistant Forest Extension Officer	1668	1668	-	Class - III (Non-Clerical Cadre)	5200-20200 and Grade Pay - 2200
3.			Forest Guard/ Van Sewak/ Godown keeper /Chainman/ Game Guard/ Mechanic/ Barrier Guard	4775	4770	05	Class - III (Non-Clerical Cadre)	5200-20200 and Grade Pay - 1900
4.			Driver (Heavy Vehicle)	132	132	-	Class -III (Non-Clerical Cadre)	5200-20200 and Grade Pay - 2200
5.			Driver (Light Vehicle)	163	160	03	Class -III (Non-Clerical Cadre)	5200-20200 and Grade Pay - 1900

Schedule –II
(See Rule 6)

S. No.	Name of the Department	Name of the service/post	Percentage of the duty post to be filled in		
			by direct recruitment [See Rule 6 (1)(a)]	by promotion of the substantive members of the Service [See Rule 6 (1)(b)]	by Deputation/ Transfer from Government Departments [See rule 6 (1)(c)]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Forest Department	Deputy Ranger	-	100%	-
2.		Forester/Surveyor/ Assistant Forest Extension Officer	-	100%	-
3.		Forest Guard/ Van Sewak/Godown keeper /Chainman/Game Guard/Mechanic/ Barrier Guard	100%	-	-
4.		Driver (Heavy Vehicle)	100%	-	-
5.		Driver (Light Vehicle)	100%	-	-

Schedule –III
(See Rule 8)

S. No.	Name of the Department	Name of the service/ post	Minimum age limit	Maximum age limit	Prescribed Educational Qualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Forest Department	Forest Guard/ Van Sewak/ Godown keeper/ Chainman /Game Guard/ Mechanic/ Barrier Guard	18 years	30 (35 years for domicile resident of Chhattisgarh State)	Should have passed Higher Secondary Examination (10+2) from any recognized Board.
2.		Driver (Heavy Vehicle)	18 years	.....do.....	1. Should have passed Middle School Examination from any recognized Board. 2. Should possess Heavy Motor Vehicle license. 3. Minimum two years experience of driving heavy vehicle such as truck / tractor.
3.		Driver (Light Vehicle)	18 years	.....do.....	1. Should have passed Middle School Examination from any recognized Board 2. Should possess valid Light Motor Vehicle license. 3. Minimum two years experience of driving a Jeep.

Schedule-IV
(See Rule 15)

S. No.	Name of the Department	Name of Service or post from which promotion is to be made	Name of service or post on which promotion is to be made	Minimum experience period for eligibility for post	Procedure of promotion	Name of members of Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Forest Department	Forest Guard	Forester	(1) Should have completed 08 years of Service as Forest Guard after completing Forest Guard Training. or (2) Such untrained Forest Guard who have completed 55 years of age.	Seniority-cum-Merit.	A committee consisting of three deputy conservators constituted by conservator of forests for the promotion at circle level.
2.		Forester	Deputy Ranger	Should have completed 05 years of Service as Forester after completing Forester Training.	---do---	---do---

Note - The promotion for the post of Deputy Ranger from Forester shall be done at circle level.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.